कार्यालय आयकर आयुक्त, गाँधीनगर

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GANDHINAGAR 1^{ली} मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

1st Floor, Vasant Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad, 380009

Date: 31/01/2014

No.CIT/GNR/80G/MHN-8/13-14

PAN: AABTN8165E

न्यासी /The Managing Trustee, Naveriya Foundation 10-A, Vaishali Nagar B/h. Gurudwara Jail Road Mehsana

> विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)के तहत अपुवल/रिन्यूअल की स्वीकृति के लिए आवेदन –

Sub: Application for grant of Approval u/s.80G(5) of I.T. Act. 1961

उपर्युक्त न्यास/संस्थान के ता. 2/07/2013 के फार्म नं. 10जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी(5) के तहत. उसमें दी गई सीमा के अंदर, कटौती योग्य है।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution on 2/07/2013, it is certified that donations made to the trust/institution shall qualify for deduction U/s.80G(5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein.

2 उपर्युक्त छूट ता. 2/07/2013 से वैध है जब तक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्न-तिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid from 2/07/2013 onwards unless canceled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

(i) दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह वैध है, का उल्लेख करें।

Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.

(ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(14),2(15),11,12,13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।

The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(14), 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the LT Act, 1961.

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत ऑडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, संबंधित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बेलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तृत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4) of the LT Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable.

(iv) विलेख/एसोसिएशन जापन/निधि/संस्थान/न्यास के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी को त्रंत स्चित किया जाए।

Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.



Sd/-(अविनाश किशोर सहाय)

आयकर आयुक्त, गाँधीनगर। COMMISSIONER OF INCOME-TAX, GANDHINAGAR.

प्रतिलिपि:

आयकर अधिकारी, वार्ड-2, मेहसाना, । वह आवेदक द्वारा संबंधित वर्षों के लिए प्रस्तुत किया गया वार्षिक लेखा विवरण से संतुष्ट हो एवं यह भी देखें कि आवेदक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80(जी) की शर्तों तथा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए।

Copy to:

- (1) The Joint Commissioner of Income-tax, Mehsana Range, Mehsana.
- (2) The ITO, Ward-2, Mehsana. He should satisfy himself with reference to annual statements and accounts for the relevant years submitted by the applicant and see that it continue to fulfill the conditions laid down U/s. 80G of the IT Act and instructions issued by the Board from time to time.

(3) The applicant.

(एन. ए. मोरी)

आयकर अधिकारी (तकनिकी),

कृते आयकर आयुक्त, गोंधीनगर ITO(TECH) FOR CIT, GANDHINAGAR